

मध्यप्रदेश सं. शाकन 757 ]  
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल


// आदेश //

भोपाल, दिनांक 6/05/2022

विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7-13/2018/छे दिनांक 04.10.2018 में मानदेय की दरों में संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों/सेवादारों के मानदेय का भुगतान निम्न शर्तों के अधीन करने की स्वीकृति दी जाती है :-

- (1) जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को रुपये 5000/- (पांच हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।
- (2) जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है उन मंदिरों के पुजारियों को रुपये 2500/- (दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।
- (3) जिन मंदिरों के पास पांच एकड़ से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को रुपये 2000/- (दो हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाए।
- (4) जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उन मंदिरों के पुजारियों को अलग से शासन द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।
- (5) यह आदेश दिनांक 01.05.2022 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(पुष्पा कुलेश)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग  
६